

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

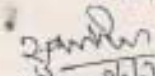
विषय:- निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय, श्री माधोपुर सीकरको वर्ष 1998-99 में आदेश क्रमांक प.2(21)शिक्षा-4/98 दिनांक 5.8.2003 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अकादमिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

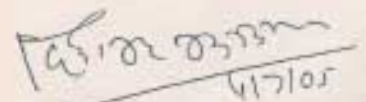
1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facilities) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी । शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आह्वित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
8. संस्था को अकादमिक स्टैण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,


(एस.एल.ओ.)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिन्ना कलक्टर, सीकर
8. अध्यक्ष/सचिव/लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय, श्री माधोपुर सीकर
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।


11/7/05

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।